

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4591/2026

Tarif S/o Shri Haroon Khan, R/o Village Bhandara, Police Station Jurhera, District Deeg. (At Present Confined At Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4154/2026

Ajru Khan Urf Ajruddin Son Of Ayub Khan, Resident Of Village Bhandara, Police Station Jurhera, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail, Deeg)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4155/2026

Mustakim S/o Khurshid, R/o Village Bhandara, Police Station Jurhera, District Deeg (Rajasthan) (The Accused-Petitioner Presently Confined In District Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Balram Vashisth Mr. Aslam S. Khan Mr. Bhanu Pratap Saini & Mr. Puneet Raj Meena on behalf of Mr. Aarif Mohammed
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

21/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्-पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— कानोता, जिला— जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 685/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण सरताज खान व मोहम्मद इंसाफ की जमानत याचिकाएं समक्ष पीठ द्वारा दिनांक 01.12.2025 को एवं अन्य सहअभियुक्त अयूब खान की जमानत याचिका संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रकरण में आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा की अवधि लगभग 2 माह की हो चुकी है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण सरताज खान व मोहम्मद इंसाफ की जमानत याचिकाएं समक्ष पीठ द्वारा दिनांक 01.12.2025 को एवं अन्य सहअभियुक्त अयूब खान की जमानत याचिका संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण उक्त अभियुक्तगण के प्रकरण से भिन्नता रखते हुए प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा की अवधि लगभग 2 माह की हो चुकी है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. तारीफ पुत्र हारुण खान, 2. अजरू खान उर्फ अजरूद्दीन पुत्र अयूब खान, 3. मुस्तकिम पुत्र खुशीद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J